न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कँवर, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 62/10 GCMS Id : 2010 /00034

लक्ष्मीनारायण मृतक जरिये कायम मुकामान–

1. गिर्राज पुत्र स्व लक्ष्मीनारायण जाति कोली निवासी 236, दाईयाँ का चौक छावनी, कोटा।

–(वादीगण)

बनाम

1 छीतर मृतक जरिये कायम मुकामान–

1.1 दुर्गाशंकर पुत्र स्व0 छीतर जाति बलाई, निवासी ग्राम मादलिया, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

2. पानाचन्द पुत्र नग्गा जाति बलाई ग्राम मांदलिया, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा।

3. भवानीशंकर पुत्र नग्गा जाति बलाई, ग्राम मांदलिया, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

4. नारायणी पुत्री नग्गा पत्नी कान्हा, जाति बलाई निवासी ग्राम बास्याहेड़ी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

5. रामनाथी पुत्री नग्गा पत्नी गोपी लाल जाति बलाई, निवासी छोटभ पोलाई, तहसील दीगोद जिला कोटा।

6. फूला पुत्री नग्गा पत्नी सूरजमल जाति बलाई निवासी माताजी का मंदिर, कुन्हाड़ी, कोटा।

7. गोपाल जरिये मृतक कायम मुकामान–

7.1 भगवती बाई बेवा स्व0 गोपाल

7.2 कमलेश पुत्र स्व0 गोपाल

7.3 गुड्डी पुत्री स्व0 गोपाल

जाति कोली निवासी ग्राम मांदलिया, तहसील लाड़पुरा, कोटा।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाड़पुरा जिला कोटा।

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : श्री शंभूदयाल विजय, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.04.2026

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर घोषणा खातेदारी व बेदखली का पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

- ग्राम हीरापुरा, पटवार क्षेत्र मांदलिया, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा मे खसरा नम्बर 390 रकबा 0.64 हैक्टर, जिस पर वादी बहैसियत खातेदार पुश्तैनी रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसका पूर्व खसरा नम्बर 713/121, 23, 124 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा था, जिसके गत सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 189, 194 बनाये गये किंतु रकबा 189 वाला 5 बीघा 14 बिस्वा और हाल सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 390 व 395 बनाये गए, किंतु मात्र 390 रकबा 0.64 हैक्टर ही वादी के दर्ज किया गया है, और 395 की 0.48 हैक्टर आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 के गलत रूप से खाते दर्ज कर दी गई, जो सेटलमेन्ट को दर्ज करने का कोई कानूनी हक नही था, और ऐसा कृत्य सेटलमेन्ट का कानूनन शुरू से ही प्रभावशून्य है, जब कि मौके पर वादी पूर्ववत् यथावत् संपूर्ण रकबे पर काबिज चला आ रहा है।
- सेटलमेन्ट विभाग को एक्जेंस्टिंग रिकॉर्ड मे परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, और बिना किसी कोम्पीटेन्ट कोर्ट के व रिकॉर्डेड़ खातेदार को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना किया गया परिवर्तन प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने की वजह से वादी पूर्ववत् रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा के हिसाब से 1.22 हैक्टर रकबा अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है और जो भूमि प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के गलत रूप से सेटलमेन्ट द्वारा मिलीभगत करके खसरा नम्बर 395 की अपने नाम दर्ज करवा ली

24/4/26

है, वह उसके खाते से हटाई जाकर रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जाकर वादी के खाते दर्ज होने योग्य है, जिसका वादी अधिकारी है।

- उक्त आराजी के खातेदार हरलाल जी थे, हरलाल की मृत्यु के बाद भूमि रघुनाथ व बाबूलाल को मिली, और रघुनाथ व बाबूलाल की मृत्यु बाद रघुनाथ के वारिस गोपाल व नरोत्तम व बाबूलाल की मृत्यु के बाद लक्ष्मीनारायण को प्राप्त हुई इसमे से भी नरोत्तम की भी मृत्यु हो चुकी है, गोपाल मौजूद है, और बाबूलाल का पुत्र लक्ष्मीनारायण वादी मौजूद है। उपरोक्त आराजी पर लक्ष्मीनारायण व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है, और पुरानें रिकॉर्ड के हिसाब से लक्ष्मीनारायण व गोपाल 1/2, 1/2 अपने दर्ज करवा कर दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।
- नरोत्तम लाऔलाद फौत हुआ है, जिसके वारिसान न होने से पक्षकार नही बनाया गया है।
- प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 का उक्त आराजी से कोई संबंध नही है और उक्त भूमि खसरा नम्बर 395 की 0.48 हैक्टर पर पूर्व में भी कब्जा वादी का ही पुश्तैनी रूप से निरन्तर चला आ रहा है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे, प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित गत खसरा नम्बर 713/121, 23, 124 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, जिसके गत सेटलमेन्ट बाद नम्बर 189 व 194, 195 बनाये गये तथा खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा ही वादी के खाते दर्ज किया व जिसके हाल खसरा नम्बर 390 व 395 बनाकर 390 रकबा 0.64 हैक्टर वादी के खाते दर्ज कर खसरा नम्बर 395 रकबा 0.48 हैक्टर प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के खाते गलत तौर पर दर्ज कर दिया है, उसे प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के खाते से हटाकर वादी के गत रकबे 7 बीघा 12 बिस्वा के अनुसार संपूर्ण 1.22 हैक्टर रकबा वादी के खाते दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद व दुरूस्ती की जाकर वादी को 1.22 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा साथ ही प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि गलत इन्द्राज के आधार पर खसरा नम्बर 395 रकबा 0.48 हैक्टर पर ताकत के बल पर कोई मजाहिमत व मदाखलत नही करे और न ही उक्त आराजी खसरा नम्बर 1.22 हैक्टर या उसके किसी भाग को विक्रय या हन्तान्तरित नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे तथा अन्य जो भी सहायता हो वह वादी को प्रदान की जावे।

वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये –

प्रदर्श–1	प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत् 2064–67 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–2	प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत् 2064–67 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–3	प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत् 2056–57 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–4	प्रमाणित नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–5	प्रमाणित नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–6	प्रमाणित नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–7	प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत् 2016–24 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–8	प्रमाणित नकल जमाबंदी भू–प्रबंध–विभाग ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–9	नकल आशिक नक्शा संवत् 1978–79 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–10	नकल खाता मौजा ग्राम हीरापुरा तहसील लाड़पुर संवत् 2005
प्रदर्श–11	नकल जमाबंदी संवत् 2034–36 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा
प्रदर्श–12	नकल जमाबंदी ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुर, जिला कोटा।
प्रदर्श–13	नकल जमाबंदी संवत् 2030–33 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा।
प्रदर्श–14A	नकल वसीयतनामा 14ए है, जिसका असल प्रदर्श 14 है।
प्रदर्श–15	मृत्यु प्रमाण–पत्र मृतक लक्ष्मीनारायण जिला कोटा।
प्रदर्श–16	मुनाफाकाश्त–तहरीर दिनांक 05.04.2021 है।
प्रदर्श–16	मुनाफाकाश्त–तहरीर दिनांक 05.04.2017 है।

3- *प्रकरण मे प्रतिवादी क्रम–3,6,7 के विरूद्ध पूर्व मे दिनांक क्रमशः 10.03.2012, 11.04.2014, 04.05.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई, तथा प्रतिवादी क्रम–1, 2, 4, 5 की ओर से बाद तलवी उपरांत कोई उपस्थित नही होने के कारण सीपीसी के नियमानुसार दिनांक 02.04.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।*

4- *प्रकरण मे वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई –*

24/4/25

वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि

- ग्राम हीरापुरा, पटवार क्षेत्र मांदलिया, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा मे खसरा नम्बर 390 रकबा 0.64 हैक्टर, जिस पर वादी बहैसियत खातेदार पुश्तैनी रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, जिसका पूर्व खसरा नम्बर 713/121, 23, 124 रकबा 7 बीघा था, जिसके गत सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 189, 194 बनाये गये किंतु रकबा 189 वाला 5 बीघा 14 बिस्वा और हाल सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 390 व 395 बनाये गए, किंतु मात्र 390 रकबा 0.64 हैक्टर ही वादी के दर्ज किया गया है, और 395 की 0.48 हैक्टर आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 के गलत रूप से खाते दर्ज कर दी गई, जो सेटलमेन्ट को दर्ज करने का कोई कानूनी हक नही था, और ऐसा कृत्य सेटलमेन्ट का कानूनन शुरू से ही प्रभावशून्य है, जब कि मौके पर वादी पूर्ववत् यथावत् संपूर्ण रकबे पर काबिज चला आ रहा है।
- सेटलमेन्ट विभाग को एक्जेंस्टिंग रिकॉर्ड मे परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है, और बिना किसी कोम्पीटेन्ट कोर्ट के व रिकॉर्डेड़ खातेदार को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना किया गया परिवर्तन प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने की वजह से वादी पूर्ववत् रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा के हिसाब से 1.22 हैक्टर रकबा अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है और जो भूमि प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के गलत रूप से सेटलमेन्ट द्वारा मिलीभगत करके खसरा नम्बर 395 की अपने नाम दर्ज करवा ली है, वह उसके खाते से हटाई जाकर रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जाकर वादी के खाते दर्ज होने योग्य है, जिसका वादी अधिकारी है।
- उक्त आराजी के खातेदार हरलाल जी थे, हरलाल की मृत्यु के बाद भूमि रघुनाथ व बाबूलाल को मिली, और रघुनाथ व बाबूलाल की मृत्यु बाद रघुनाथ के वारिस गोपाल व नरोत्तम व बाबूलाल की मृत्यु के बाद लक्ष्मीनारायण को प्राप्त हुई इसमे से भी नरोत्तम की भी मृत्यु हो चुकी है, गोपाल मौजूद है, और बाबूलाल का पुत्र लक्ष्मीनारायण वादी मौजूद है। उपरोक्त आराजी पर लक्ष्मीनारायण व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है, और पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से लक्ष्मीनारायण व गोपाल 1/2, 1/2 अपने दर्ज करवा कर दुरूस्ती कराने के अधिकारी है।
- नरोत्तम लाऔलाद फौत हुआ है, जिसके वारिसान न होने से पक्षकार नही बनाया गया है।
- प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 का उक्त आराजी से कोई संबंध नही है और उक्त भूमि खसरा नम्बर 395 की 0.48 हैक्टर पर पूर्व में भी कब्जा वादी का ही पुश्तैनी रूप से निरन्तर चला आ रहा है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे, प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद नम्बर–1 मे वर्णित गत खसरा नम्बर 713/121, 23, 124 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, जिसके गत सेटलमेन्ट बाद नम्बर 189 व 194, 195 बनाये गये तथा खसरा नम्बर 189 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा ही वादी के खाते दर्ज किया व जिसके हाल खसरा नम्बर 390 व 395 बनाकर 390 रकबा 0.64 हैक्टर वादी के खाते दर्ज कर खसरा नम्बर 395 रकबा 0.48 हैक्टर प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के खाते गलत तौर पर दर्ज कर दिया है, उसे प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के खाते से हटाकर वादी के गत रकबे 7 बीघा 12 बिस्वा के अनुसार संपूर्ण 1.22 हैक्टर रकबा वादी के खाते दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद व दुरूस्ती की जाकर वादी को 1.22 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा साथ ही प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि गलत इन्द्राज के आधार पर खसरा नम्बर 395 रकबा 0.48 हैक्टर पर ताकत के बल पर कोई मजाहमत व मदाखलत नही करे और न ही उक्त आराजी खसरा नम्बर 1.22 हैक्टर या उसके किसी भाग को विक्रय या हन्तान्तरित नही करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे तथा अन्य जो भी सहायता हो वह वादी को प्रदान की जावे।

वादी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

1. आरबीजे. 2004 पेज 66
2. आरबीजे. 2015 पेज 390
3. आरबीजे. 2018 पेज 578
4. आरबीजे. 1993 पेज 44(सी)
5. आरबीजे. 2002 पेज 334

24/4/26

6. आरबीजे. 2004 (II) पेज 1287

प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने, प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन करने उपरोक्तानुसार विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

☞ मुताबिक प्रदर्श–10 मौजा खाता संवत् 2005 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा मे खसरा नम्बर 713/121 23 124 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वादी रघुनाथ बेटा हरलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक दस्तावेज प्रदर्श–4 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 ग्राम हीरापुर मे खसरा नम्बर 189 कर नया नम्बर 390 कायम कर रकबा 0.64 कायम किया गया तथा खसरा नम्बर 194 का नया नम्बर 395 कायम कर रकबा 0.48 कायम किया गया। तथा मुताबिक जमाबदी संवत् 2064–67 खसरा नम्बर 390 रकबा 0.64 हैक्टर रकबा 0.64 हैक्टर वादी के पिता बाबूलाल के साथ–साथ प्रतिवादी क्रम–7 गोपाल व नरोत्तम के खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है तथा मुताबिक जमाबंदी संवत् 2064–67 खसरा नम्बर 395 रकबा 0.48 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के खाते दर्ज रिकॉर्ड है।

☞ वादी वकील के कथनानुसार पूर्व खसरा नम्बर 713/121 23 124 से सेटलमेन्ट बाद खसरा नम्बर 189 व 194, 195 बनाये गये, परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल संवत् 2016–24 ग्राम हीरापुर, तहसील लाड़पुरा मे स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है कि पूर्व खसरा नम्बर 713/121 23 124 जिसका रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा है, से खसरा नम्बर 189, 194, 195 कायम किया गया हो।

☞ **ज्ञातव्य है कि** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 के प्रावधाननुसार– **सबूत का भार उस पक्ष पर है जो किसी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है।** इसका मतलब यह है कि अगर कोई पक्ष दावा करता है कि कोई निश्चित तथ्य सत्य है, तो उस दावे का समर्थन करने वाले सबूत पेश करना उनकी जिम्मेदारी है ।

☞ अतः दस्तावेज एवं साक्ष्य के अभाव मे वाद–वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/4/26

(श्रीमती हुकम कँवर)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती हुकम कंवर, R.A.S.

उनवान :–

लक्ष्मीनारायण मृतक जरिये कायम मुकामान–

1. गिर्राज पुत्र स्व लक्ष्मीनारायण जाति कोली निवासी 236, दाईयाँ का चौक छावनी, कोटा।

–(वादीगण)

बनाम

1 छीतर मृतक जरिये कायम मुकामान–

1.1 दुर्गाशंकर पुत्र स्व0 छीतर जाति बलाई, निवासी ग्राम मादलिया, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

2. पानाचन्द पुत्र नग्गा जाति बलाई ग्राम मांदलिया, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा।

3. भवानीशंकर पुत्र नग्गा जाति बलाई, ग्राम मांदलिया, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

4. नारायणी पुत्री नग्गा पत्नी कान्हा, जाति बलाई निवासी ग्राम बास्याहेड़ी, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा।

5. रामनाथी पुत्री नग्गा पत्नी गोपी लाल जाति बलाई, निवासी छोटा पोलाई, तहसील दीगोद जिला कोटा।

6. फूला पुत्री नग्गा पत्नी सूरजमल जाति बलाई निवासी माताजी का मंदिर, कुन्हाड़ी, कोटा।

7. गोपाल जरिये मृतक कायम मुकामान–

7.1 भगवती बाई बेवा स्व0 गोपाल

7.2 कमलेश पुत्र स्व0 गोपाल

7.3 गुड्डी पुत्री स्व0 गोपाल

जाति कोली निवासी ग्राम मांदलिया, तहसील लाड़पुरा, कोटा।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाड़पुरा जिला कोटा।

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88,89,188 RTA

GCMS id : 2024 /00034

मुकदमा नम्बर : 62/10

निर्णय दिनांक : 24-04-2026

न्यायालय हाजा में विद्वान वादी अभिभाषक श्री शंभूदयाल विजय की उपस्थिति में वादपत्र पर बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 24–04–2026 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती हुंकम कॅवर, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर, दस्तावेज एवं साक्ष्य के अभाव मे वाद–वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 24 अप्रेल, 2026 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती हुकम कॅवर)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

	वादी	रूपया		प्रतिवादी	रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	